


22/3/20

पत्रावली पेश। वकील वादीगण अनुपस्थित।
वादीगण व वकील वादीगण को बार-बार
आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं पत्रावली
अदालत परकी अदालत हाजिरी में खारिज की
जाती है। पत्रावली फौजदारी शुक्रा, दोष
पारितोषिक दफ्तर हो एवं जमानत से मुक्त हो।


सहायक कलेक्टर, सांघौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघौर)

